जैव-विविधता सरंक्षण : सुखद भविष्य की नींव

डॉ. सीमा वर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राणि विज्ञान विभाग, सतीश चन्द्र कालेज, बलिया (उ.प्र.)

सारांश

हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जो सम्पूर्ण और एकमात्र जीवों का है ,. जीवों से बना है और जीवों के लिये है । प्रकृति में कोई भी जीव अकेला जीवित नहीं रह सकता । जीवन के लिए सतुंलित पर्यावरण ही उसके स्वस्थ जीवन की कसौटी है । पर्यावरण सन्तुलन तथा जीवन के सन्तुलित एंव समविकास के लिये जैव विविधता का अपने आप में महत्व है। वनस्पति, जीव जन्तु तथा मानव एक दूसरे के अस्तित्व के पूरक है । किसी भी प्रजाति के नष्ट हो जाने पर दूसरी प्रजाति का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है । अनुमान है कि अगले 20–30 वर्शो में वनस्पतियों एंव जीवों की 10 लाख से अधिक जातियाँ धरा से विलुप्त हो जाएंगी । जैव विविधता को बनाये रखना आवश्यक है क्योंकि हम उसके बिना नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नही कर सकेंगे । जैविक विविधता का प्रबन्ध एक जीवन सार्थक आवश्यकता है । यह अपने और आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारी है ।

प्रकृति और जैव विविधता का सरंक्षण आज सम्पूर्ण विश्व के लिये एक बड़ी चुनौती बन गया है । भारत वर्श जैव सम्पदा की दृष्टि से विश्व के समृद्धतम देशों में से एक है । विश्व में उपलब्ध जीव प्रजातियों के लगभग 40 प्रतिशत प्रजातियाँ हमारे देश में उपलब्ध है लेकिन इसमें से अनेक प्रजातियों में तेजी से गिरावट आने लगी है और कालान्तर में अनेक प्रजातियाँ विलुप्त हो गई और अनेक विलुप्तता के कगार पर पहुचँ गई है । वैसे विलुप्तीकरण की प्रकिया एक जैविक प्रकिया है परन्तु किसी जीव की असमय समाप्ति कुछ सोचने के लिए विवश करती है। किसी भी प्राणि के असमय विलोपन का कारण पर्यावरणीय परिस्थितियो में अवांछनीय परिवर्तन, वन्य जीवों के प्राकृतिक निवासों का विनाश, वनों का विनाश, अवैज्ञानिक पशु चारण तथा तीव्र गति से बढ़ता औद्योगिकिरण है।

सम्पूर्ण विश्व की लगभग 2% भूमि हमारे पास है और प्रकृति ने भारत को मुक्तहस्त दान दिया है । इस भूमि पर विश्व 5% अर्थात 75,000 प्रजातियों के जीव–जन्तु निवास करते है, तथा वनस्पतियों की 45,000 प्रजातियाँ भारत में पाई जाती है । प्राकृतिक कारणों से किसी वन्य प्रजाति का नष्ट होना एक धीमी प्रकिया है परन्तु मानव की लोलुप प्रवृत्ति, अविवेकशीलता, बढ़ती जनसंख्या और उसकी आवश्यकता पूर्ति हेतु प्रकिति का दोहन और जंगलो की कटाई ने अनेक जीवों के निवास को नष्ट कर दिया जिसका प्रभाव उसके प्रजननशीलता पर भी पड़ा है।

भारतीय उपमहाद्वीप में वन्य जीवों की कुछ ऐसी दुर्लभ प्रजातियाँ है जो विश्व में अन्यत्र अप्राप्य है जैसे अनूप मृग (स्वैम्पी डियर), चार सिंगा (फोर हार्नड एन्टीलोप), कश्मीरी महामृग, नीलगाय, चीतल, कृश्णमृग, एक सीगं वाला गैण्डा, सांभर गोट, जंगली सुअर आदि । पर्यावरण सन्तुलन में जीवों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।प्रकृति के जीवों में अन्योन्याश्रिता स्पष्ट आश्रित होते से दिखती है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है–डोडो पक्षी का विलुप्तीकरण । डोडो एक कालातीत,बत्तख के समान भारी भरकम पक्षी था जो अपने भारी वजन के कारण उड़ नही पाता था । माँस के लालच में इसका अन्धाधुन्ध शिकार किया गया जिससे डोडो पक्षी का अस्तित्व इस धरती से समाप्त हो गया । इस पक्षी के विनाश के साथ काल्वेरिया मेजर नामक वृक्ष भी विनष्ट होने के कगार पर पहुँच गया है।डोडो पक्षी के पेट में एक रसायन पाया जाता था जो काल्वेरिया वृक्ष के बीजों के कठोर आवरण को गला देता था और उसके बीट के साथ बीज निकल आता था तभी बीज उग पाते थे । डोडो खत्म हुआ तो काल्वेरिया वृक्ष भी विनाश के कगार पर पहुँच गया है। विश्व में 300 वर्श पुराने केवल 13 काल्वेरिया वृक्ष की प्रजातियाँ बची है ।

वर्ल्ड ऑफ मैमल्स के आँकड़ो के अनुसार भारत

में 81 स्तनधारी वन्य जीवों की प्रजातियॉ संकटग्रस्त है जिनमें से कुछ प्रमुख प्रजातियॉ निम्नलिखित सारिणी में प्रदर्शित हैं। –

भारत में संकटग्रस्त जीव

1. सफेद तेंदुआ	17. कछुआ	33. पहाड़ी बटेर
2. जंगली भैसा	18. वनमानुष	34. गुलाबी सिर बत्तख
3. शेर	19. पैगोलिन	35. सोन चिड़िया
4. नीलगिरी लंगुर	20. ऊटान	36. मगर मच्छ
5. चीता	21. चिम्पैंजी	37. चौसिंघा हिरन
6. बाघ	22. औरंग	38. नीलगिरि हिरन
7. स्लोलोरिस	23. लघुपूंछ बन्दर	39. अजगर
8. गैंडा	24. नीलगिरि लंगूर	40. मास्क हिरन
9. संगाई हिरन	25. सिंह पूंछ बन्दर	41. छोटा बारह सिंघा
10. कश्मीरी हिरन	26. बबून	42. भूरा बारह सिंघा
11. कस्तुरी हिरन	27. सुनहरी सुअर	43. दलदली हिरन
12. बारहसिंघा	28. जंगली गधा	44. नीलगिरि हिरन
13. मालावार सिवेट	29. सुनहरी बिल्ली	45. घड़ियाल
14. लाल पाण्डा	30. डुगोंग	46. श्वेतपूंछ बत्तख
15. गंगीय डालफिन	31. जर्डेन घोड़ा	47. टेंगोपान
16. गुनोन	32. भूरी बिल्ली	48. जलीय छिपकली

आज का मानव यह भूल गया हैं कि पृथ्वी पर अन्य जीव जन्तुओं को भी रहने का उतना ही अधिकार हैं, जितना मनुष्य को। वनस्पति, जीव–जन्तु तथा मानव एक दूसरे के अस्तित्व के पूरक हैं। वन्य जीवों को मारने का मानव का जन्मजात स्वभाव हैं क्योंकि उसने सर्वप्रथम इन्हीं को भोजन के रुप में देखा था। आदिकाल में शिकार, जोखिम व बहादुरी का प्रतीक था, तो मध्य काल में शान–शौकत व मनोरंजन का काम समझा जाने लगा और आधुनिक युग में तो यह अत्याधिक लाभप्रद व्यवसाय के रुप में परिवर्तित हो गया हैं।

प्रेक्षकों का अनुमान है कि अगले 20–30 वर्शों में वनस्पतियों एवं जीवों की 10 लाख से अधिक प्रजातियॉ धरा से विलुप्त हो जाएंगी यह दर प्रतिदिन 10 जातियों का लोप विलोप की अनुमानित दर से 1000 गुना अधिक हैं। संकट ग्रस्त एवं संकट के कगार पर खड़ी जातियों की सूची में प्राणि एवं पादप दोनों ही सम्मिलित हैं। समशीतोष्ण क्षेत्रों की पादप जातियों का 10 प्रतिशत एवं विश्व के 9000 पक्षी जातियों का 11 प्रतिशत भाग विलोप के सन्निकट है। उष्ण कटिबन्धीय प्रदेशों में वन विनाश ने 1,30,000 जातियों का लुप्त होने की स्थिति उत्पन्न कर दी हैं। ये जातियॉ विश्व में अन्यत्र पायी ही नहीं जाती।

विभिन्न जातियों के बीच होने वाली आपसी पारिस्थितिकीय क्रियाएँ एवं भौतिक पर्यावरण, ये दोनों सम्मिश्रित होकर उन पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण करते हैं। जिन पर मनुष्य अपने अस्तित्व के लिये निर्भर है। इस प्रकार पृथ्वी उपस्थित समस्त जीव धारियों की जीन–मूलक विभिन्नता भी "जैविक विविधता" के अन्तर्गत समाहित हैं। जीन–मूलक विभिन्नता के अभाव में जीव धारी में परिवर्तनों को सहने की वह क्षमता समाप्त हो जाती है, जिसे अनुकूलन कहा जाता हैं।

जैविक विभिन्नता के तीन स्तर हैं–

1. विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तन्त्र (पर्यावरणीय इकाई और उसमें जी रहे पादप एवं प्राणी समुदाय)।

2. विभिन्न प्रकार की जीव–जातियॉ ।

3. पृथक–पृथक जातियों में और प्रत्येक जाति में विधमान जीन–मूलक विभिन्नताएँ।

मानव के लिए जैविक विविधता कई दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। भोजन, औशधि, औधोगिक कच्चे माल के समस्त स्रोत इन्ही में विधमान हैं। जैविक विविधता जीवन–धारक सेवाएं भी प्रदान करती है जैसे नैसर्गिक रुप से पृथ्वी के वायुमण्डल का नवीनीकरण, प्रदूषण को सोखना, मिट्टी की उर्वरता आदि को बनाये रखना महत्वपूर्ण सेवायें हैं। पर्यावरणीय बदलाव के साथ, सफल अनुकूल अन्ततः जैविक विविधता में कमी लाते हैं वैसे–वैसे हम बदलते पर्यावरण के साथ अनुकूलन की जीवधारियों की क्षमता को कम करते हैं। अधिकांश प्राणि एवं सहजवृत्तिक परिवर्तनों के माध्यम से पर्यावरणीय बदलावों के साथ अपना अनुकूलन करते हैं, जबकि मनुष्य सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से यह कार्य करता हैं।

विश्व में खाद्य आहार का लगभग 80 प्रतिशत मात्र दो दर्जन वनस्पतियों एवं प्राणीजातियों से प्राप्त होता हैं इतनी कम जातियों पर मनुष्य अपने को निर्भर बना कर मनुष्य–

1. अपनी फसलों की जीन–मूलक विविधता को समाप्त कर रहा हैं।

2. विभिन्नतापूर्ण प्राकृतिक स्थलों को जातीय एकरुपता वाले क्षेत्रों में बदल रहा हैं।

3. फसलों एवं पालतु पशुओं के ज्ञात एवं अज्ञात पूर्वजों की संख्या घटा रहा है जो इनकी नस्ल सुधारने के लिये आवश्यक जीनों का स्रोत हैं।

4. अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये अन्न सुरक्षा को डावांडोल कर रहा हैं। आज की अधिकांश फसले किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष के लिए ही विकसित की गयी हैं। जलवायु परिवर्तन और रोगों के कारण उनकी उत्पादकता शायद उतनी न रह जाए।

अतः जीव विविधता को बनाए रखना आवश्यक हैं क्योंकि हम उसके बिना नई परिस्थितियों के साथ अनुकूलन नहीं कर सकेंगे और फसलों की नश्लें विकसित नहीं कर सकेंगे। जैविक विविधता का प्रबन्ध एक जीवन सार्थक आवश्यकता हैं। यह अपने और आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारी जिम्मेदारी हैं।

इतिहास साक्षी है की अशोक महान ने अपने सभी शिलालेखों पर जीवो पर दया करने की बात लिखवायी थी। धार्मिक सुरक्षा के कवच ने ही वन्य जीवों को लम्बे अन्तराल तक बचाये रखा। बन्दूक का अविष्कार होते ही वन्य जीवों को अपना अस्तित्व बनाये रखना कठिन हो गया। ब्रिटिश सरकार ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये प्रथम कानून वर्ष सन् 1879 में "वाइल्ड एलिफैन्ट प्रोटेक्शन एक्ट" नाम से पारित किया। उल्लेखित अधिनियमों का व्यापक प्रभाव पड़ा परन्तु वनों की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रयास न होने के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिली। इस लिए 1927 में वनों की सुरक्षा, वैज्ञानिक प्रबन्ध एवं विदोहन तथा वन्य जीवों के हितार्थ "भारतीय वन अधिनियम" पारित किया गया। इसके अन्तर्गत वन एवं वन्य जीवों सम्बन्धि अपराधों को रोकने के लिए आर्थिक एवं शारिरिक दण्ड की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी।

1973 में वाशिंगटन में 80 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए और जीवों के संरक्षण के लिये एक आचार्य संहिता बनाई गयी जिसे "कनवेंशन ज्ञान इण्टरनेशनल ट्रेड एण्ड एडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एण्ड फ्लोरा" नाम दिया गया। इसमें कहा गया कि संकट ग्रस्त जीव जन्तुओं और वनस्पतियों के बचाने का उत्तर दायित्व समूची दुनिया का है। यदि पर्यावरण ह्रास के कारण किसी भी प्रकार की वनस्पति या प्राणी प्रजाति संकटापन होती हैं तो इसका प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव मानव के अस्तित्व पर पड़ता हैं। खाद्य–श्रृंखला के रुप में सभी का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हैं।

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय व्यापक रुप से बेतहासा वनों की कटाई हुई। शिकारीयों ने भी अवसर का लाभ उठाते हुए बड़े पैमाने पर पशु संहार प्रारम्भ कर दिया। वन्य जीव प्रेमी संगठनों के आहवान पर भारत

सरकार ने "इण्डियन बोर्ड फार वाइल्ड लाइफ" कि स्थापना कि।"भारतीय वन अधिनियम 1956" में वन एवं वन्य जीवों दोनों को ही सुरक्षा का प्रावधान था परन्तु वन विभाग के सस्त्र विहिन कर्मचारियों के लिए राइफलों से लैस शिकारीयों को रोक पाना सम्भव न हो सका। वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग के अन्तर्गत हि पृथक रुप से "वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना की गयी। रक्षकों को शस्त्रों से लेस किया गया तथा वाहन भी प्रदान किये गये ।इन प्रयासो के बावजूद वन्य जीवों की अधिकांश प्रजातियॉ विलुप्त होती गयी। अतः ऐसा अनुभव किया गया की वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कड़ा दण्ड का प्रावधान तथा वन्य जीवों के वास स्थलों की व्यापक सुरक्षा का प्रबन्ध किया जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया और अपराधी को 7 वर्श तक का कारावास तथा प्रयाप्त अर्थ दण्ड की व्यवस्था की गयी। दो अक्टूबर, 1991 से अधिनियम को संशोधित करके इसे और कड़ा कर दिया गया।

भारत में मार्च 2002 तक 89 राश्ट्रीय उद्यान एवं 489 वन्य जीव अभ्यारण्य थे। ऐसे वन्य जीव जिनकी संख्या देश में निरन्तर घट रही हैं उनके लिए प्रोजेक्ट स्कीमे चलाइ जा रही हैं जिनमें चीता, हाथी, गैण्डा आदि प्रमुख हैं। सन् 1991–1992 से वनस्पत्ति उद्यानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना प्रारम्भ की गयी इसमें वह विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के वनस्पति शास्त्र विभाग सम्मिलित कर लिए जाते हैं जो पादपों की विशेश प्रजातियों का संरक्षण करते हैं। 1992 में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन हुआ। यह प्राधिकरण देश के चिड़ियाघरो की स्थिति सुधारने के बारे में तथा पशुओं के रखने और प्रजनन के लिये सुविधाए बढ़ाने के लिए तथा उन्हे ठीक से जनता को दिखाने के लिए प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य करता हैं। वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 200 हैं।

जैवविविधता के महत्व को समझते हुए उनके संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। सरकार कानून बनाती हैं लेकिन जब तक हम लोग स्वयं अनुशासित हो कर उनका अनुपालन नहीं करेंगे वह कानून तब तक व्यर्थ हैं। हमें प्रकृति का दोहन एक सीमा तक ही करना चाहिए यदि हम एक पेड़ काटें तो चार पेड़ लगा दे। "जियो और जीने दो" की सोच को जब तक हम आत्मसात नहीं कर लेंगे तब तक जैवविविधता संरक्षण हो पाना सम्भव नहीं हैं। जैवविविधता के विनाश को रोका नहीं गया तो भविश्य में एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। कहा गया हैं कि "विश्व एक प्रमुख प्रजाति विलुप्तता के युग खण्ड से गुजर रहा हैं जो जीवों के उद्भव काल के विगत 50 करोड़ वर्शों में पूर्ववर्ती पॉच प्रजातियों के विलोपन से किसी प्रकार कम भयावह नहीं हैं।"

जैवविविधता मानव जीवन का आधार हैं। इसका संरक्षण आवश्यक हैं। राश्ट्रीय तथा अर्न्तराश्ट्रीय प्रयासों के साथ–साथ स्वयं को अनुशासित करने से ही जैवविविधता का संरक्षण हो सकेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ –

1. Biodiversity : - E. O. Wilson and Frances M. Peter, National Academy Press Washington, D.C. 1988.
2. Conservation International – The Biodiversity Hotspots. 2010 -10- 07 Retrieved 2012 -06-22.
3. Environmental Biology and Toxicology by P.D. Sharma.
4. Fundamentals of Ecology by Odum.
5. Meyers, N. et al. Nature (Journal) 403, 853 -858 (2000).